



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1621]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2019/ज्येष्ठ 3, 1941

No. 1621]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2019/ JYAISTHA 3, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2019

सं. 06/2015-2020

विषय:— जैव ईंधन की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 1818(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 22, 27 और 38 के अंतर्गत जैव ईंधन की आयात नीति को संशोधित करती है।

एकजिम कोड	मद का वर्णन	वर्तमान नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
2207 20 00	एथिल एल्कोहल और अन्य स्फिरिटे, विकृतिकृत, किसी भी प्रबलता की	प्रतिबंधित	आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन केवल गैर ईंधन प्रयोजनों के लिए अनुमत है।	प्रतिबंधित	---
2710 20 00	पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों (क्रूड के अलावा) से प्राप्त तेल और निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं,	प्रतिबंधित	आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन केवल गैर ईंधन प्रयोजनों के लिए अनुमत है।	प्रतिबंधित	---

	जिसमें भार के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल हैं, ये तेल बायोडीजल वाले और अपशिष्ट तेलों के सिवाय निर्मितियों के मूल घटक हैं।				
3826 00 00	बायोडीजल और उनके मिश्रण, जिसमें भार के आधार पर पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज से प्राप्त तेल 70 प्रतिशत से कम न हो या हो	प्रतिबंधित	आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन केवल गैर ईंधन प्रयोजनों के लिए अनुमत है।	प्रतिबंधित	---

इस अधिसूचना का प्रभाव: वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा जैव ईंधन के निःशुल्क आयात का प्रावधान करने वाली नीतिगत शर्त को हटा दिया जाता है। जैव ईंधन की आयात नीति सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित है और इसके आयात के लिए डीजीएफटी से आयात लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/01/एम-19/पीसी-2(क)/ई-11101]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी: दिनांक 17 जनवरी, 2017 की मुख्य अधिसूचना सं. 36/2015-2020 को दिनांक 17 जनवरी, 2017 की सं. का.आ. 172(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 21 अगस्त, 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. 27/2015-2020 दिनांक 21 अगस्त, 2018 की का.आ. 4054(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2019

No. 06/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of biofuels.

S.O. 1818(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of biofuels under Chapter 22, 27 and 38 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

Exim Code	Item Description	Present Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy	Revised Policy Condition
2207 20 00	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.	Restricted	Import is allowed only for non-fuel purposes subject to Actual User condition.	Restricted	--
2710 20 00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or	Restricted	Import is allowed only for non-fuel purposes subject to Actual User condition.	Restricted	--

	included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils.				
3826 00 00	Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals.	Restricted	Import is allowed only for non-fuel purposes subject to Actual User condition.	Restricted	--

Effect of the Notification: Policy condition providing for free import of bio-fuels by actual users is deleted. Import policy of bio-fuels is “restricted” for all purposes and its import will require import licence from DGFT.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/01/AM-19/PC-2(A)/e-11101]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017 and amended vide notification No. 27/2015-2020, dated the 21st August, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 4054 (E), dated the 21st August, 2018.